न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बौली जिला सवाई माधोपुर

फर्द अहकाम

रामबिलास बनाम रामजीलाल वगेरा

वाद पत्र संख्या 231/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीं मय इनिशियल्स जज	नं. ता. अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुआ ।
28.11.22	वकुलाये फरीकेन उपस्थित। अप्रार्थीयान की और जवाव के मद नं. 18 में यह आपत्ति उठायी कि आया धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस न्यायालय को सुनवाई का कानूनी अधिकार नहीं हैं? हमने वाद पत्र के शीर्षक का अवलोकन किया। वादी की और से यह दावा अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिवादीगण को बेदखल करने व भूमि पर कब्जा दिलवाने बाबत पेश किया हैं। सुना गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची के क्रम सं. 68ग में धारा 183 बी के प्रकरण का श्रवणाधिकार तहसीलदार को दिनांक 25.6.89 से दिये गये हैं । ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण तहसीलदार बौली को वास्ते सुनवाई मूल पत्रावंली भेजी जावें। इस न्यायालय में प्रकरण का श्रवणाधिकार न होने के कारण इस स्तर पर फैसल शुमार होकर मूल पत्रावली तहसीलदार बौली को भेजी जाकर उभय पक्ष को निर्देश दिये जाते हैं कि वह तहसीलदार बौली के समक्ष दिनांक 14-12-22 को उपस्थित हो। इस बाबत दर्ज रजिस्टर में इन्द्राज किया जावें।	